न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 81/2014
अन्तर्गत धारा 53, 96, 92 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. क्रान्ति पुत्री मक्खन सिंह पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सोनू पुत्री श्री मक्खन सिंह जाति जट सिख निवासी मकान नम्बर 8 सिविल लाइन श्रीगंगानगर

..**वादीगण**

बनाम

1. मक्खन सिह पुत्र श्री पूर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर(मृतक)
2. पुना सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह जाति जट सिख्या निवासी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)

1/1 श्रीमती मनोहरी कौर उर्फ गुरमीत कौर पत्नी मक्खन सिंह जाति जट सिख निवासी गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
1/2 इन्द्रजीत सिंह पुत्र पूना सिंह
1/3 हुसनजोत कौर पुत्री पूना सिह
3 उप पंजीयक, श्रीगंगानगर
4 राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

....**प्रतिवादीगण**

उपस्थित – श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता (वादीगण)
श्री संजय कुमार अधिवक्ता (प्रति.1/1–प्रति.–1/5)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक–01.05.2018

।। निर्णय ।।

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं.2 की दादी व प्रतिवादी सं.1 की माता श्रीमती जसपाल कौर को चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 39 मुरबा नम्बर 31 के 6.323 हैक्टर हिस्सा पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त है। इतंकाल संख्या 279 दिनांक 25 अप्रेल, 1998 से उक्त विवादित आराजी जसपाल कौर के तीनों वारिसान जंगसिंह, मिठुसिंह तथा मक्खनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी तथा मक्खनसिंह द्वारा अपने हिस्से की आराजी 8.6 बीघा का बैयनामा पूना सिंह के हक में दिनांक 12 मई, 2014 को कर दिया जिसके आधार पर इंतकाल संख्या 395 दिनांक 18 जून, 2004 को पूना सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी दर्ज हो गयी, जिसकी अपील वादीगण द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के यहां अनवानी क्रान्ति आदि बनाम स्टेट अपील संख्या 67/2013 दर्ज हुई जिसका निर्णय दिनांक 25 मार्च 2014 को कर दिया गया तथा इंतकाल संख्या 395 दिनांक 18 जून 2004 को निरस्त कर दिया गया। वादीगण द्वारा अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25 मार्च 2014 की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर के यहा एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19 मई 2014 को यह निर्णय पारित किया गया कि मक्खन सिंह अभी जीवित है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी पक्षकार के जीवित होने की अवस्था में उसके वारिसान के नाम से नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता। वादीगण द्वारा अतिरिक्त जिला कलैक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या [illegible] 2013 [illegible] की जिसका निर्णय दिनांक 25 मार्च 2014 को करते हुए यह [illegible] के मिट्ठु सिंह, जंगसिंह तथा मक्खन सिंह को

हिस्सा जन्म से ही बनता है परन्तु मक्खन सिंह द्वारा वादीगण के अधिकारों का हनन करते हुए पूनासिंह के हक में बैयनामा करवा दिया तथा उसके आधार पर इंतकाल संख्या 395 भी दर्ज करवा दिया जो अपील में निरस्त किया जा चुका है। मक्खनसिंह द्वारा जो बैयनामा पूनासिंह के हक में किया गया वह केवल वादीगण के अधिकारों का हनन करने एवं वादीगण के हिस्से की सम्पत्ति हड़पने की नीयत से किया गया है। जो प्रारंभिक रूप से वादीगण के अधिकारों तक शून्य व प्रभावहीन है तथा ऐसे शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि मक्खनसिंह केवल मात्र अपने 1/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा को बेचान करने का ही अधिकारी था। इस प्रकार मक्खनसिंह द्वारा जो अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का बेचान पूनासिंह के हक में किया गया है वह प्रारम्भिक रूप से शून्य है। वादीगण न्यायालय से अपना हिस्सा घोषित करवाना चाहती है इसलिए मक्खनसिंह द्वारा पंजीकृत बैयनामा जो पूनासिंह के हक में किया गया है, उससे पूनासिंह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि मक्खन सिंह अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से में से केवल मात्र 1/4 हिस्सा ही बेचाना कर सकता है। इसलिए उक्त बैयनामा प्रारम्भिक रूप से ही शून्य व प्रभावहीन है। पूना सिंह द्वारा उक्त बैयनामा के आधार पर विवादित आराजी का आगे रहन बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने की फिराक में है। यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इससे आयन्दा मुकदमेबाजी बढेगी, दावा का मक्सद फोत हो जावेगा तथा वादीगण को नापूरा होने वाला नूकसान होगा। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जाना से नहीं होगी। वादीगण अपने हक व हिस्सा से वंचित हो जायेंगे। इस कारण ताफैसला दावा प्रतिवादीगण को शश्वत व्यादेश से पाबंद किया जाना आवश्यक व जरूरी है। वादीगण्सा द्वारा कल दिनांक 23जून, 2014 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से सम्पर्क करके निवेदन किया कि वे उनके ¼ - ¼ हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तथा उक्त विवादित कृषि भूमि को आगे रहन बैय अथवा अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरित न करे लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया यही वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया– (क) वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जावे कि वाके चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 39 मुरबा नम्बर 31 के 6.323 हैक्टर हिस्सा पैतृक सम्पत्ति में से प्रतिवादी संख्या 1 मक्खन सिंह के 1/3 हिस्सा किला नम्बर 4, 7, 10, 11, 14, 17, 21, 22 व 24 कुल 8.6 बीघा आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 आगे रहन बैय या अन्य तरीके से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे।

(ख) वादीगण के हक में इस आशाय की घोषणात्मक व विभाजन की डिकी जारी की जावे कि मक्खन सिंह कुल के 1/3 हिस्से में से वादीगण उनके ¼ - ¼ हिस्सा के हकदार है।

(ग) इस आशय की डिकी जारी की जावे कि बैयनामा दिनांक 12 मई, 2014 वादीगण के अधिकारों का हनन करता है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 मक्खन सिंह द्वारा अपना 1/3 हिस्सा में स ¼ हिस्सा ही बेचान कर सकता था। इस प्रकार कथित बैयनामा प्रारम्भिक रूप से ही शून्य है। इसलिए वादीगण के अधिकारों पर उक्त बैयनामे से कोई प्रभाव नहीं पडता है तथा यदि बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से कोई अमल दरामद हो गया हो तो उसको भी शून्य घोषित किया जावे।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10–11 सी.पी.सी. का जवाब दिनांक 21.08.2015 को पेश किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10–11 सी.पी.सी. दिनांक 19.10.2015 को अस्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु बार बार अवसर चाहे जाने पर प्रतिवादीगण को 200/– रूपये की कोस्ट पर अवसर दिनांक 20.04.2016 को दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब दावा दिनांक 04.05.2016 को बंद किया गया। स्टेट की ओर से स्टेट जवाब दिनांक 18.10.2016 को पेश हुआ। तनकीयात नहीं बनने पाये जाने पर साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 19.06.2017 को पेश किया गया। प्रार्थीया सोनू पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 मक्खन सिंह एवं पूना सिंह का देहान्त होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिसके दिनांक 21.02.2018 को स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा द्वारा संशोधित अनवान प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 तक प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये। दिनांक 05.04.2018 को वादी एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा मय काउंटर कलेम पेश किया गया।

।। आदेश ।।

राजीनामा के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान को निम्न प्रकार से उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। चक 6 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 39 मुरब्बा नम्बर 31 के 6.323 हैक्टर में से पुना सिंह पुत्र मखन सिंह व मखनसिंह के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा में वादीगण प्रत्येक को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं मखनसिंह को भी 1/4 हिस्सा का हकदार मनोहरकौर उर्फ गुरमीतकौर को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार पूना सिंह के वारिसान मनोहरकौर उर्फ गुरमीतकौर व इन्द्रजीतसिंह, हुसनजोतकौर को पूनासिंह के 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय अधिवक्ता वादिया एवं पैरोकार राज के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 01.05.2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर